न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 111/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/227**
दायर दिनांक :– 23.05.2025 **निर्णय दिनांक :– 06.10.2025**

1. नसरदीन पुत्र बंचू खां जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 0.0647 हैक्टेयर मौजा जोड़ पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का खरीद के दिन से लगातार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। जमाबंदी व नक्शा संलग्न पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र खरीद की थी। उक्त भूमि पर खरीद के दिन से आज दिन तक लगातार खरीद अनुसार प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौके पर गैर मुमकिन बंधा खसरा नम्बर 292 रकबा 9.1297 हैक्टेयर भूमि के चिपता कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग एवं उपभोग लेता आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि की पूर्व में भू–नक्शा में तरमीम गैर मुमकिन बंधा एवं खसरा नम्बर 385 के चिपती तरमीम थी और उक्त तरमीम अनुसार ही प्रार्थी का आज दिन तक कब्जा है। लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना तहत पटवारी हल्का द्वारा सरासर गलत तरीके एंव बिना किसी सक्षम आदेश के प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 354 की तरमीम गैर मुमकिन बंध के स्थान पर कर दी गई जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। जबकि प्रार्थी की भूमि का कब्जा व काश्त गैर मुमकिन बंधा व खसरा नम्बर 385 के चिपता चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थी ग्राम जोड़ के खसरा नम्बर 354 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि की तरमीम कब्जा व काश्त एवं गैर मुमकिन बंधा एवं खसरा नम्बर 385 के चिपता तथा प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने का अधिकार है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम जोड़ पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 354 व 292 की तरमीम खातेदार के कब्जा से भिन्न है। पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की वर्तमान तरमीम नक्शा लट्ठा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का जोड़ एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जोड़ पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 354 व 292 की वर्तमान तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का जोड़ की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/10/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)